

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला आपूर्ति कार्यालय)

फोन नं० :- 06112-235203, 235204
फैक्स नं० :- 06112-235205, 236854
ई-मेल :- dm-nalanda.bih@nic.in

-: आदेश :-

सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोग्यता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1804/खाद्य, पटना, दिनांक 04.03.2011 द्वारा अन्वयोदय अन्न योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2011 से माह मार्च 2012 हेतु जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 74855 अन्वयोदय परिवार एवं शहरी क्षेत्र में 10763 अन्वयोदय परिवार (कुल 85618 लाभुक परिवार) के लिए प्रति परिवार 14 (चौदह) किलोग्राम गेहूँ एवं 21 (इक्कीस) किलोग्राम चावल की दर से कुल 11986.52 क्वी० गेहूँ व 17978.78 क्वी० चावल का आवंटन प्राप्त हुआ है।

संदर्भित विभागीय पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि भारत सरकार द्वारा माह अप्रैल, 2011 हेतु पत्र निर्गम की तिथि दिनांक 25.02.2011 से 50 दिनों तक निर्धारित की गई है। शेष माहों के लिए उठाव की अवधि यथावत रहेगा।

उक्त विभागीय पत्र से प्राप्त आवंटन व निहित निदेशों के आलोक में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के 74855 अन्वयोदय परिवार एवं शहरी क्षेत्र के 10763 अन्वयोदय परिवार (कुल 85618 लाभुक परिवार) के लिए प्रति परिवार 14 (चौदह) किलोग्राम गेहूँ एवं 21 (इक्कीस) किलोग्राम चावल की दर से कुल 11986.52 क्वी० गेहूँ व 17978.78 क्वी० चावल का माह अप्रैल, 2011 से माह मार्च, 2012 तक का उपावंटन निम्न रूपेण किया जाता है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहारशरीफ/हिलसा/राजगीर को निदेश दिया जाता है कि मासिक आवंटन के अनुरूप माह अप्रैल, 2011 से माह मार्च 2012 में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से खाद्यान्न का सभ्य मूल्य राज्य खाद्य निगम में जमा कराएँगे तथा उठाव करवाकर लाभुकों के बीच वितरण करना सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही प्रत्येक जन वितरण प्रणाली विक्रेता को वितरित राशन कूपन के आधार पर एवं उनके भंडार का पूर्व माह का शेष देखकर/काटकर ही उपावंटन करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी कि उठाव एवं वितरण पर कड़ी निगरानी रखें। साथ ही उठाव व वितरण संबंधी मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र 'सी' में निश्चित रूप से जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों/आपूर्ति निरीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि वे इसका समुचित ध्यान रखेंगे तथा किसी भी परिस्थिति में एक भी अन्वयोदय लाभुक इस लाभ से वंचित न होने पाएँ एवं इसकी सारी जवाबदेही उनकी होगी।

क्र०	प्रखंड / नगर निगम / नगर पंचायत का नाम	ग्रामीण / शहरी क्षेत्रों में अन्वयोदय लाभुकों की कुल संख्या	माह अप्रैल, 2011 से माह मार्च 2012 के लिए प्रति परिवार 14 कि०ग्रा० गेहूँ एवं 21 कि०ग्रा० चावल की दर से मासिक आवंटन (क्वीटल में)	
			गेहूँ	चावल
1	2	3	5	6
1	बिहारशरीफ	6069	849.66	1274.49
2	अस्थायी	5340	747.60	1121.40
3	सरमेरा	2917	408.38	612.57
4	हरनौत	5342	747.88	1121.82
5	नूरसराय	5095	713.30	1069.95
6	बिन्द	2087	292.18	438.27
7	रहुई	4749	664.86	997.29
8	हिलसा	4631	648.34	972.51
9	एकमूरसराय	5399	755.86	1133.79

10	इसलामपुर	6021	842.94	1264.41
11	परवलपुर	2171	303.94	455.91
12	धरधरी	1931	270.34	405.51
13	चंडी	4676	654.64	981.96
14	करायपरशुराय	2232	312.48	468.72
15	नगरनीसा	2690	376.60	564.90
16	देन	2679	375.06	562.59
17	राजगीर	2799	391.86	587.79
18	सिलाव	3816	534.24	801.36
19	कारसैसराय	1400	196.00	294.00
20	गिरिक	2811	393.54	590.31
21	बिहारशरीफ नगर निगम	7063	988.82	1483.23
22	राजनीर नगर पंचायत	1027	143.78	215.67
23	सिलाव नगर पंचायत	614	85.96	128.94
24	हिलसा नगर पंचायत	1150	161.00	241.50
25	इसलामपुर नगर पंचायत	909	127.26	190.89
	योग	85618	11986.52	17979.78

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
नालन्दा।

अपर समाहर्ता
नालन्दा।

जिला पदाधिकारी
नालन्दा।

ज्ञापक : 08-01/11- 484 /आ०, दिनांक : 14 /03/2011

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ/हिलसा/राजगीर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हिलसा/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी पणन पदाधिकारी/सभी आपूर्ति निरीक्षक, नालन्दा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
नालन्दा।

अपर समाहर्ता
नालन्दा।

जिला पदाधिकारी
नालन्दा।

ज्ञापक : 08-01/11- 484 /आ०, दिनांक : 14 /03/2011

प्रतिलिपि :- सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोग्यता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1804/खाद्य, पटना, दिनांक 04.03.2011 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप निदेशक, खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
नालन्दा।

अपर समाहर्ता
नालन्दा।

जिला पदाधिकारी
नालन्दा।